



कार्यालय— प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611



पत्रांक—2349 / 12-1

देहरादून:दिनांक: 25 मार्च, 2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव
वन एवं पर्यावरण
उत्तराखण्ड, शासन।

वन अनुभाग-3

विषय:-जनपद-रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जैली मरगांव तैला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.7425 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में। (PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/10372/2015)

सन्दर्भ :-अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-591/X-4-15/1(349)/2015 दिनांक 27.07.2015

महोदय,

शासन के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी के पत्रांक 1958/12-1 दिनांक 02.04.2024 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है:-

क्र. सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जायेगी।	वन संरक्षक द्वारा अपने पत्रांक 1958/12-1 दिनांक 02.04.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) ₹ 6,00,000.00 (छः लाख) मात्र की धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया जा चुका है। (संलग्नक-1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०एस०- 566 IA नम्बर 556 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०एस०-566 IA नम्बर 556 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007- एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित धनराशि ₹ 4,87,823.00 (चार लाख सत्तासी हजार आठ सौ तेईस) मात्र की धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया जा चुका है। (संलग्नक-1 के अनुसार)
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० की दरों की

	करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	बढ़ोत्तरी ₹2,58,546.00(दो लाख अट्ठावन हजार पांच सौ छियालीस मात्र) की धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है। (संलग्नक-2)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0एस0-566 IA नम्बर 556 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0 -एस0 बी0 25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1 लोधीरोड़ नई दिल्ली 110003 में जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त देयकों का भुगतान (स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव व एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही कुल ₹ 13,46,369.00 (तेरह लाख छियालीस हजार तीस सौ उत्तरे) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा किया गया है। (संलग्नक-1 व 2 अनुसार)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0एस0-566 IA नम्बर 556 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0 -एस0 बी0 25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1 लोधीरोड़ नई दिल्ली 110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0 की क्षतिपूरक प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त देयकों का भुगतान उपरोक्तानुसार वन विभाग के पक्ष में किया गया। (संलग्नक-1 व 2 के अनुसार)
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की गई है। (संलग्नक-3)
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा प्रेषित आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित 2023 के तहत प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु भारत सरकार को अग्रसारित करना चाहे।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 8349 / दिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप महानिदेशक(के०), भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय 25 सुभाष रोड देहरादून।
2. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड निर्माण विभाग, लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग।

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 1958 / 12-1
सेवा में,

दिनांक, पौड़ी, 02/04, 2024.

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय- जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जैली मरगांव तैला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.7425 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।

PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/10372/2015

सन्दर्भ- अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-591/X-4-15/1(349)/2015 दिनांक 27.07.2015
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 3092/12-1(2) दिनांक 13.03.2024 (इस कार्यालय में प्राप्त दिनांक 30.03.2024) से अवगत कराया गया है कि विषयांकित प्रकरण में प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग ने अपने पत्रांक 62/16सी दिनांक 09.01.2024 से प्रभागीय कार्यालय को प्रस्तुत की है, जो निम्न प्रकार है-

क्र	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पडें स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 3092/12-1(2) दिनांक 13.03.2024 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पडे स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रुपये 6,00,000.00 (छः लाख) मात्र की धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया जा चुका है। (संलग्नक-1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.सं.-566 एवं भारत सरकार पत्र सं. 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. हेतु रुपये 4,87,823.00 (चार लाख सत्तासी हजार आठ सौ तेईस) मात्र की धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया जा चुका है। (संलग्नक-1 के अनुसार)
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोत्तरी रुपये 2,58,546.00 (दो लाख अठ्ठावन हजार पांच सौ छियालीस) मात्र की धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है। (संलग्नक-2)
4	भारत सरकार पत्र सं. 5-3/2007-एफ. सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन.पी.वी. तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं.-एस. बी.-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, फेज-1 लोधी रोड, नई दिल्ली -110003 में जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त देयकों का भुगतान (स्थल के आस-पास रिक्त पडे स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव व एन.पी.वी. की निर्धारित धनराशि) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही कुल रुपये 13,46,369.00 (तेरह लाख छियालीस हजार तीन सौ उन्हत्तर) मात्र की धनराशि का पूर्ण भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया गया है। (संलग्नक-1 व 2 के अनुसार)

उ.नि. (सं.) / 591/रुद्रप्रयाग

आ.का. कर

15.04/24
15-4-24

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, वृत्त, निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

पंजी0 सं0 4629
पत्रावली 12-1
दिनांक 22-4-24

क्रमशः पेज 02 पर

5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.सं.-566 एवं भारत सरकार पत्र सं. 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं.-एस. बी.-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, फेज-1 लोधी रोड, नई दिल्ली -110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती, की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त देयकों का भुगतान उपरोक्तानुसार वन विभाग के पक्ष में किया गया है। (संलग्नक-1 व 2 के अनुसार)
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की गई है। (संलग्नक-3)
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(आकाश कुमार वर्मा)

वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

पत्रांक

दिनांक

प्रतिलिपि:-प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(आकाश कुमार वर्मा)

वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी



पेजीकृत/संशोधित
ई, मेल :- dforudraprayag@gmail.com

फोन/ फैक्स नं० :- +91-8126660575::

पता :- माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रुद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 3092 / 12-1(2)

दिनांक 13/03 / 2024::

सेवा में

माई की मढ़ी,
30/3/24

वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय :- जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जैली मरगांव तैला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.7425 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।
PROPOSAL NO.-FP/UK/ROAD/10372/2015

सन्दर्भ :- अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-591/X-4/15/1(349)/2015 दिनांक 27.07.2015।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की संशोधित अनुपालन आख्या (प्रश्न एवं उत्तर कॉलमवार/बिन्दुवार) अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रप्रयाग ने अपने पत्रांक-62/16सी० दिनांक 09.01.2024 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जो निम्न प्रकार है-

वि.सं.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रुपये 6,00,000.00 (छः लाख) मात्र की धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया जा चुका है। (संलग्नक-1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.सं.-566 एवं भारत सरकार पत्र सं. 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. हेतु रुपये 4,87,823.00 (चार लाख सत्तासी हजार आठ सौ तेईस) मात्र की धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया जा चुका है। (संलग्नक-1 के अनुसार)
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोत्तरी रुपये 2,58,546.00 (दो लाख अठ्ठावन हजार पांच सौ छियालीस) मात्र की धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है। (संलग्नक-2)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं. 5-3/2007-एफ. सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन.पी.वी. तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं.-एस. बी.-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, फेज-1 लोधी रोड, नई दिल्ली -110003 में जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त देयकों का भुगतान (स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव व एन.पी.वी. की निर्धारित धनराशि) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही कुल रुपये 13,46,369.00 (तेरह लाख छियालीस हजार तीन सौ उन्हत्तर) मात्र की धनराशि का पूर्ण भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया गया है। (संलग्नक-1 व 2 के अनुसार)

क्रमशः-2 पर

01C

5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट मिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.सं.-566 एवं भारत सरकार पत्र सं. 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं.-एस. बी.-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, फेज-1 लोधी रोड, नई दिल्ली -110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती, की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त देयकों का भुगतान उपरोक्तानुसार वन विभाग के पक्ष में किया गया है। (संलग्नक-1 व 2 के अनुसार)
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की गई है। (संलग्नक-3)
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार। (तीन सत्यापित प्रतियों में)

भवदीय,

(अभिमान्य)

उप वन संरक्षक

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या- / दिनांकित।

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2:- अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अनुरोधित
आज्ञा के,
महोदय
कृष्ण
रुद्रप्रयाग

(अभिमान्य)

उप वन संरक्षक

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

मार्थ

क
१, रुद्रप्रयाग।

पत्र संख्या
सेवा में,

62/16C

दिनांक 09/01/2023

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग।

विषय-

वनभूमि पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/10372/2015 जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जैली मरगांव तैला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.7425 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

सन्दर्भ-
महोदय,

आपका पत्र संख्या 2475/12-1(2) दिनांक 27.01.2023।

उपरोक्त विषयक मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पूर्व ही इस कार्यालय के पत्र संख्या 510/16सी दिनांक 22.02.2017 द्वारा आपको प्रेषित की जा चुकी है, किन्तु 5 वर्ष से अधिक समय होने के कारण एनपीवी की बढ़ी हुए धनराशि जमा किये जाने के कारण सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की संशोधित बिन्दुवार अनुपालन आख्या पुनः उपलब्ध कराये जाने लिखा गया है-

क्र०	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा रिक्त पड़े स्थानों क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं इसके 10 वर्षों के रख-रखाव हेतु वांछित धनराशि रु० 6,00,000.00 मात्र RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal S.B. A/c 037100101025229 Corporation Bank Lodhi Branch New Delhi में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न- संलग्नक-1)।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 /1995 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा शर्त संख्या 2 के अनुपालन में एनपीवी की देय धनराशि रु० 4,87,823.00 मात्र की धनराशि ऑन लाइन उक्त खाते में जमा की जा चुकी है, (संलग्नक-1 के अनुसार)।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 3 के अनुपालन में एनपीवी मूल्य की दर में यदि बढ़ोत्तरी की धनराशि रु० 2,58,546.00 मात्र की ऑन लाइन जमा की जा चुकी है, चालान की प्रति संलग्न है (संलग्नक-2)।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या एस०बी०-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्प्लैक्स फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 1, 2, 3 व 4 के अनुसार (कुल धनराशि रु० 6,00,000.00 + 4,87,823.00 + 2,58,546.00 मात्र)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 /1995 के अन्तर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्प्लैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित	शर्त संख्या 1, 2, 3 व 4 के अनुसार (कुल धनराशि रु० 6,00,000.00 + 4,87,823.00 + 2,58,546.00 मात्र)

	प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, प्रस्तावित स्थल के आसपास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यालय की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	अनुपालन किया जायेगा।
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जायेगा।	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	अनुपालन किया जायेगा।
9	उपरोक्तानुसार शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	अनुपालन किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें।
संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(इ० इन्द्रजीत बोस)
अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग।
29/01/24

प्रतिलिपि-

- नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

क० भू० द०
आ० स० के०
29/01/24
रुद्रप्रयाग

Core Treasury System
E-Cheque Advise
Government Of Uttarakhand

ChequeID : CO9000186703160003 Date : 22-MAR-10

Code : 1867
Grant No. : PAC
Code : OP9000422700026
Project Name : LAND COMPANTATION AND N.P.V. PAYMENT (STATE SECTOR) (PV)(5054048C

Division Name : Provincial Division P.W.D.
Scheme : 5054048000500 PV
Name : Compensatory Afforestation Fund(Caf) (Ultranchal

ALLOTTED AMT : 299009000 EXPENDITURE AMT : 226948262 REMAINING AMT : 72000738

TO/Sr.TO/TO/STO
Rudraprayag

Vs (163) Dt 22/3/16
Proposed No - FP/UL/Boad/10372/2015

ease pay to Compensatory Afforestation Fund(Caf) (Ultranchal
orporation Bank IFSC Code CORP0000371 Account No. 037100101025229 as per detail below.

1. In Contractor Bank A/C	1087823.00
2. Payment on A/C of following (through book transfer) - (V)	0.00
2.1 Income Tax -TDS (885800112000000):	1087823.00
Net	

Amount in words : (Rs. Ten Lac Eighty-Seven Thousand Eight Hundred Twenty-Three Only.)

Note: Detail given above is checked by me personally and is correct.

Signature with Seal
DAQ/Sr.DAQ Provincial Division P.W.D. Rudraprayag

Signature
Executive Engineer P.W.D. Rudraprayag

Quots copy attested
For Treasury Use

ID: CO9000186703160003 Date: 22-

Voucher No.
Voucher Date.

Passed Amount Rs. : 1087823.00
Amount in words : (Rs. Ten Lac Eighty-Seven Thousand Eight Hundred Twenty-Three Only.)
Bank Amount Rs. : 1087823.00
Amount By TC Rs. : 0.00

Accountant Signature

ATO Signature

CTO/Sr.TO/TO/STO Signature

Assistant Engineer
Prov. Division P.W.D.
Rudraprayag

ChequeID : CO9000186703160003 Date : 22-MAR-16

Code : 1867
Grant No. : PACDivision Name : Provincial Division P.W.D.
Scheme : 5054048000500 PV

Code : OP9000422700026

Name : Compensatory Afforestation Fund(Caf) Uttaranchal

Project Name : LAND COMPANTATION AND N.P.V. PAYMENT (STATE SECTOR) (PV)(50540480

ALLOTTED AMT : 299000000 EXPENDITURE AMT : 226948262 REMAINING AMT : 72000738

TC/Sr.TO/TO/STO
RudraprayagVr 163 Dt 22/3/16
Proposed No - FP/UL/Read/10372/2015Please pay to Compensatory Afforestation Fund(Caf) Uttaranchal
Corporation Bank IFSC Code CORP0000371 Account No. 0371000101025229 as per detail below.

1. In Contractor Bank A/C	1087823.00
2. Payment on A/C of following (Through bank transfer) [✓]	0.00
2.1 Income Tax -TDS (885800112000000) :	
Total	1087823.00

Amount in words : (Rs. Ten Lac Eighty-Seven Thousand Eight Hundred Twenty-Three Only.)

Note: Detail given above is checked by me personally and is correct.

Signature with Seal
सहायक अभियन्ता

DAO/Sr.DAO

Provincial Division P.W.D. Rudraprayag

Signature
सहायक अभियन्ता
राजदीन चन्द मोह नि नि
Executive Engineer P.W.D. RudraprayagQuote copy attested
forसहायक अभियन्ता
राजदीन चन्द मोह नि नि
For Treasury Use
रुद्रप्रयाग

ID : CO9000186703160003 Date : 22-

Voucher No.

Voucher Date.

Passed Amount Rs. : 1087823.00

Amount in words : (Rs. Ten Lac Eighty-Seven Thousand Eight Hundred Twenty-Three Only.)

Bank Amount Rs. : 1087823.00

Amount By TC Rs. : 0.00

Payment Id :

Accountant Signature

ATO Signature

CTO/Sr.TO/TO/STO Sign

मोटो सति सत्यापित

Assistant Engineer
Prov. Division P.W.D.
Acho Rudraprayag

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम तेला
तहसील जरवेली जिला 6, पपुपाग
अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जिला 6, पपुपाग उत्तराखण्ड में
तेला (वार्ड) मोहर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु
()
है० आरक्षित वन भूमि, है० सिविल सोयम भूमि है०, वन पंचायत भूमि
 है०) अर्थात् कुल है० वन भूमि का विभाग/संस्था
के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत
किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तेला द्वारा दिनांक को
सामान्य ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्मित करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह है कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपरिथित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि
कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर
ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित
किया गया कि ग्राम तेला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि
प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

है०/

ग्राम सचिव तेला

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।



P/c Attestee

सहायक अभियन्ता
प्र०स० लो०नि०वि०

रुद्रप्रयाग

FP/UK/ROAD/10372/2015 (./Viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10372/2015)	ROAD103722015236	No (New)	PRINCIPLE	Status	Fund Demand	Demand Letter
Jail-Margao-Taila Motor Road under State Sector		6110372236	27 Jul 2015	☒ Paid	Verified by :15 Mar 2023 Nodal Officer Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan : 09 Jun 2023 Generated On : 09 Jun 2023 Transaction : 26 Jun 2023 Date	Generated Challan (./UserAccount/Netf_Challan.aspx?pid=ROAD103722015236)
FP/UK/ROAD/10936/2015 (./Viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10936/2015)	ROAD109362015565	6110936565	03 Nov 2015	☒ Paid	Verified by :14 Mar 2023 Nodal Officer Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan : 09 Jun 2023 Generated On : 09 Jun 2023 Transaction : 26 Jun 2023 Date	Generated Challan (./UserAccount/Netf_Challan.aspx?pid=ROAD109362015565)
Construction of Kutmun Pull to Uchina-Dhechal Motor Road						
FP/UK/ROAD/11825/2015 (./Viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11825/2015)	ROAD118252015366	6111825366	08 Apr 2016	☒ Paid	Verified by :14 Mar 2023 Nodal Officer Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan : 09 Jun 2023 Generated On : 09 Jun 2023 Transaction : 26 Jun 2023 Date	Generated Challan (./UserAccount/Netf_Challan.aspx?pid=ROAD118252015366)
Construction of Chennagaad-Changhasu (Bangar) Motor Road under State sector						
FP/UK/ROAD/8718/2014 (./Viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/8718/2014)	ROAD87182014480	6187180480	02 Nov 2015	☒ Paid	Verified by :14 Mar 2023 Nodal Officer Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan : 09 Jun 2023 Generated On : 09 Jun 2023 Transaction : 26 Jun 2023 Date	Generated Challan (./UserAccount/Netf_Challan.aspx?pid=ROAD87182014480)
Chopra-Dungri-Chapar Motor Road (State Sector)						
FP/UK/ROAD/9719/2015 (./Viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/9719/2015)	ROAD97192015432	6197190432	16 Apr 2015	☒ Paid	Verified by :16 Mar 2023 Nodal Officer Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan : 09 Jun 2023 Generated On : 09 Jun 2023 Transaction : 26 Jun 2023 Date	Generated Challan (./UserAccount/Netf_Challan.aspx?pid=ROAD97192015432)
construction of khuzir bend chowki basil & extension of khuzir bend chowki basil to zaminid saterakhal						

मंडल प्रति - संलग्नक

PROV. DIVISION P.W.D.
A.P. Rudraprayag

अक्षय-19

2

		No (New)	PRINCIPLE	Status		
FP/UK/ROAD/10372/2015 (./Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/10372/2015) Jaili-Margaon-Talla Motor Road under State Sector	ROAD103722015236	6110372236	27 Jul 2015	 Paid	Fund Demand Verified by :15 Mar 2023 Nodal Officer On Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan :09 Jun 2023 Generated On Transaction :26 Jun 2023 Date	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/150320231349034632_FPUKROAD103722015_User_Fund_Demanded_2991. Generated Challan (./UserAccount/Nett_Challan.aspx?pid=ROAD103722015236)
FP/UK/ROAD/10936/2015 (./Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/10936/2015) Construction of Kufmun Pull to Uchina-Directal Motor Road	ROAD109362015565	6110936565	03 Nov 2015	 Paid	Fund Demand Verified by :14 Mar 2023 Nodal Officer On Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan :09 Jun 2023 Generated On Transaction :26 Jun 2023 Date	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/040320231745343506_FPUKROAD109362015_User_Fund_Demanded_2685 Generated Challan (./UserAccount/Nett_Challan.aspx?pid=ROAD109362015565)
FP/UK/ROAD/11825/2015 (./Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/11825/2015) Construction of Chernaagaad- Ghanghasu (Banga?) Motor Road under State sectore	ROAD118252015366	6111825366	08 Apr 2016	 Paid	Fund Demand Verified by :14 Mar 2023 Nodal Officer On Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan :09 Jun 2023 Generated On Transaction :26 Jun 2023 Date	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/040320231746388967_FPUKROAD118252015_User_Fund_Demanded_4886 Generated Challan (./UserAccount/Nett_Challan.aspx?pid=ROAD118252015366)
FP/UK/ROAD/8718/2014 (./Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/8718/2014) Chopra-Dungth-Chapar Motor Road (State Sector)	ROAD87182014480	6187180480	02 Nov 2015	 Paid	Fund Demand Verified by :14 Mar 2023 Nodal Officer On Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan :09 Jun 2023 Generated On Transaction :26 Jun 2023 Date	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/040320231744221903_FPUKROAD87182014_User_Fund_Demanded_13926 Generated Challan (./UserAccount/Nett_Challan.aspx?pid=ROAD87182014480)
FP/UK/ROAD/9719/2015 (./Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/9719/2015) construction of khuzir bend chowki basil & extension of khuzir bend chowki basil to Jamind saterakhal	ROAD97192015432	6197190432	16 Apr 2015	 Paid	Fund Demand Verified by :16 Mar 2023 Nodal Officer On Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan :09 Jun 2023 Generated On Transaction :26 Jun 2023 Date	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/150320231347225053_FPUKROAD97192015_User_Fund_Demanded_26683 Generated Challan (./UserAccount/Nett_Challan.aspx?pid=ROAD97192015432)

Prov. Division P.W.D

Abe Rudraprayag

मोरो जलि सदापि

मोदी प्रति संस्थापिका

Prov. Division P.W.D
Ate Rudraprayag

प्रपत्र-23.1

दिनांक 8 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत तेल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01-	प्रशासन सिंह कपूरवाड़ा	
02	गुमान सिंह किलवाड़ा	
03	सुरत सिंह पवार	
04	मोहन सिंह विष्ट	
05	शुक्ल सिंह पवार	
06	कलवार सिंह किलवाड़ा	
07	प्रेम सिंह पवार	
08	उदय सिंह पवार	
09	विजयपाल सिंह किलवाड़ा	
10	पूरी नन्द गोस्वामी	
11	कल सिंह पवार	
12	गोपाल सिंह राणा	
13	जलदीप सिंह नेगी	
14	शुक्ल सिंह राणा	

1/6 ATES 601

सहायक अभियन्ता

प्रा० नं० लो० नि० वि०

रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम - जलपद रुद्रप्रयाग के विरस खण्ड जखेली में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत जैली-मरगांव - तैला मो. प्र. का नव निर्माण लम्बाई 3.00 किमी

कार्यालय उप जिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, जखेली

उपखण्ड जखेली परिक्षेत्र के अन्तर्गत

(0.000 हे० आरक्षित वन भूमि 0.7425 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.7425 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 2.7000 हे० वन भूमि) का वेब निर्माण

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जखेली) की दिनांक 20/01/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति को बैठक श्री लक्ष्मी राज चौधन उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री लक्ष्मी राज चौधन उप जिलाधिकारी अध्यक्ष
- 2- श्री अजय कुमार उप प्रमाणीय वनाधिकारी सदस्य
- 3- श्री हर्षवर्धन ठाई ग्रामसभा अध्यक्ष सदस्य / सचिव
- 4- श्री कमलाकिशोर राव बी०डी०सी० क्षेत्र तैला तहसील जखेली सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

जलपद रुद्रप्रयाग के विरस खण्ड जखेली में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत जैली-मरगांव - तैला मो. प्र. का नव निर्माण परियोजना हेतु 2.700 हे० वन

भूमि

प्रा० ख० लो० नि० वि० रुद्रप्रयाग

Plc Attached

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड जखेली परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के जखेली में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत जैली-जखेली-तैला मो.मो.रा.न. निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में समक्ष प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

20/01/15
उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- जखेली
जनपद - रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-
जनपद

P/c Attest

सहायक अभियन्ता
प्रा०स० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

FORM-1

(for linear projects)

**Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag**No 23Dated 30-01-2015**TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.7425 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Jailli-Margaon-Taila Motor Road under State Sector** (purpose for diversion of forest land) in Rudraprayag district falls within jurisdiction of **Taila, Wad** village (s) in **Jakholi** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

(Dr. Raghav Langer)

(Full name and official seal of the District Collector)

P/C A/R 1/2015


सहायक अभियन्ता
 प्रा०स० लो०नि०वि०
 रुद्रप्रयाग

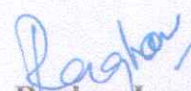
OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dr. Raghav Langer I.A.S District Magistrate Rudraprayag on date 30-01-15 at timeat Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 0.7425 hect for the Construction of Jaili-Margaon-Taila Motor Road under State Sector (3.00 Km) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of S.D.M. sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag
Dated:.....


(Dr. Raghav Langer)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committee, Rudraprayag


P/C AIT 1201

सहायक अभियन्ता
प्रा०स० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम

तेला

तहसील जखेली जिला

ह.प्र.प्राग

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जिला ह.प्र.प्राग उत्तराखण्ड में

तेला (ह.प्र.प्राग)

मोहर मार्ग

परियोजना के निर्माण हेतु

हे० आरक्षित वन भूमि, हे० सिविल सौयम भूमि हे० वन पंचायत भूमि
 हे० अर्थात् कुल हे० वन भूमि का विभाग/संस्था
 के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन संचालन द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत
 किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तेला द्वारा दिनांक को
 सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के
 संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह है कि वन अधिकार
 अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
 आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपरिथत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
 किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि
 कार्य नहीं किया जा रहा है। इससे अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर
 ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित
 किया गया कि ग्राम तेला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि
 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह०/ग्राम पंचायत तेला

ग्राम सचिव

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो
 तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

मेरी प्रति सन्तोष

सहायक अभियन्ता

प्रा०स० लो०नि०वि०

ह.प्र.प्राग

प्रपत्र-23.1

दिनांक 8 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत तेल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01-	प्रशाफल सिंह कपूरवाँरा	प्रशाफल
02	गुमान सिंह किरवाँरा	गुमान
03	सुरत सिंह पवार	सुरत
04	मोहन सिंह किरवाँरा	मोहन
05	शुक्ल सिंह पवार	शुक्ल
06	कलवार सिंह किरवाँरा	कलवार
07	पेम सिंह पवार	पेम
08	उदय सिंह पवार	उदय
09	विजयपाल सिंह किरवाँरा	विजय
10	पूजा नन्द गोस्वामी	पूजा
11	कुमार सिंह पवार	कुमार
12	गोपाल सिंह राणा	गोपाल
13	कलदीप सिंह नेगी	कलदीप
14	उदय सिंह राणा	उदय

मोटी प्रत सत्यापित

सहायक अभियन्ता

प्रा०स० लो०नि०वि०

रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विस्तृत खण्ड जखेली में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत जैली-मरगांव - तैला मो. नं० का नव निर्माण लम्बाई 3.00 किमी

कार्यालय उप जिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

जखेली

उपखण्ड जखेली परिक्षेत्र के अन्तर्गत

(0.000 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.7425 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.7425 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 2.7000 हे० वन भूमि) का नव निर्माण

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जखेली) की दिनांक 20/01/15 को सम्मान बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री लक्ष्मी राज चौधन उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री लक्ष्मी राज चौधन उपजिलाधिकारी अध्यक्ष
- 2- श्री अजय कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
- 3- श्री हर्षवर्धन ठाकुर सामुदायिक विकास अधिकारी सदस्य / सचिव
- 4- श्री कमलाकिशोर खन्ना बा०डी०सी० क्षेत्र तैला तहसील जखेली सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

जनपद रुद्रप्रयाग के विस्तृत खण्ड जखेली में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत जैली-मरगांव - तैला मो.नं० 3

नव निर्माण परियोजना हेतु 2.700 हे० वन

भूमि प्रा० ख० लो० नि० वि० रुद्रप्रयाग

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

मो. वि. नि. वि. रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता

प्रा०ख० लो० नि० वि०

रुद्रप्रयाग

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड जबेली परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के प्रभागीय जबेली के मुख्याधी घोषा के अन्तर्गत जैली-नरगौर-तेल मो.का.का-का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में समक्ष प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

20/01/15
उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- जबेली
जनपद - रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मौखिक प्रतिलिपि

सहायक अभियन्ता
प्रा०स० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-
जनपद-

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dr. Raghav Langer I.A.S District Magistrate Rudraprayag on date 30-01-15 at timeat Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 0.7425 hect for the Construction of Jaili-Margaon-Taila Motor Road under State Sector (3.00 Km) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of S.D.M. sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag

Dated:.....


(Dr. Raghav Langer)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committee, Rudraprayag

जिला सचिव
रुद्रप्रयाग

महोदय सत्योपे
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० सो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग